

प्रेस-नोट
थाना कटेरा, जनपद झाँसी

दिनांक: 22.03.26

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना कटेरा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार,
- कब्जे से चोरी की मोटर बरामद, गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 21.03.2026 को वादी श्री अरविन्द्र कुमार पुत्र सालिकराम अहिरवार निवासी ग्राम रावनपुरा कटेरा देहात, थाना कटेरा, जनपद झाँसी द्वारा सूचना दी गई कि उनके मकान के बाहर चबूतरे से पानी निकालने की ऊषा कंपनी की 0.5 एचपी की बिजली मोटर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कटेरा पर मु0अ0सं0 21/26 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 22.03.26 को थाना कटेरा पुलिस द्वारा ग्राम रावनपुरा से पहले स्थित नाला पुलिया के पास से अभियुक्तगण 1. प्रमोद पुत्र हरीराम रैकवार निवासी ग्राम मडिया थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी (म0प्र0), उम्र करीब 38 वर्ष 2. कुट्टीलाल पुत्र दयाराम अहिरवार निवासी ग्राम मडिया थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी (म0प्र0), उम्र करीब 52 वर्ष को चोरी गई मोटर के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण: एक पानी की मोटर (ऊषा कंपनी 0.5 एचपी), अनुमानित कीमत लगभग 8500/- रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- प्रमोद पुत्र हरीराम रैकवार निवासी- ग्राम मडिया थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी म0प्र0 उम्र 38 वर्ष,
- कुट्टीलाल पुत्र दयाराम अहिरवार निवासी- ग्राम मडिया थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी म0प्र0 उम्र 52 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह, थाना कटेरा, झाँसी
2. उ0नि0 शिवेन्द्र सिंह, थाना कटेरा, झाँसी
3. हे0का अभिषेक कुमार, थाना कटेरा, झाँसी
4. का0 विपिन प्रजापति, थाना कटेरा, झाँसी

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

- मु0अ0सं0 21/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कटेरा, जनपद झाँसी